

पर्वा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

क्र.संख्या - 158/2025

प्रतिवादी :

धापा पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्योकरण पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शेराराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सन्तलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. हरिराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. केसर देवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सुनील कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसंडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुनीता पुत्री रामलाल पत्नी दलीप जाति जाट निवासी नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. अनुसुईया पुत्री रामलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 6 आर.पी. डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. सरस्वती पुत्री रामलाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. श्रीराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. मदनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. हंसराज पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

14. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 6.6.2025


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के सम्मुख वकील वादीया श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलरिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर घोशणा की जाती है कि

क.वादीया धापा को प्राप्त आराजी:- चकनं० 3 बीआरएन के प०न० 215/383 मु० 20 किला नं० 11/2/.023 है०, 12/.025 है० उत्तरी दिशा

ख.प्रतिवादी सं० 1 नत्थूराम को प्राप्त आराजी:- चक नं० 3 बीआरएन के प०न० 215/383 मु० 20 किलानं० 13/.014 है० पश्चिमी दिशा (उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर छोड़कर), 18/.017, 23/.017 है० पश्चिमी दिशा

उपरोक्त अनुसार वादीया व प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार का तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन करने व चकनं० 3 बीआरएन के खाता सं० 43/33 मे से प्रतिवादी सं० 1 नत्थूराम का हिस्सा कम, चक नं० 3 बीआरएन के खाता 52/49 मे से वादीया धापा का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 6/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी